राजस्थान सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
H.C.M. Rajasthan State Institute of Public Administration
Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302 017 ❑ Rajasthan ❑ India

क्रमांकः–एफ 8(14)/अ.शा./बागवानी कार्य अनु./रीपा/2024/पार्ट–I/19126 दिनांक :– 10/01/25

मैसर्स सनसाईन फैसिलिटी
मैनेजमेंट सर्विस,
19–ए, गायत्री नगर,
टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर।

विषय :– बागवानी कार्य हेतु निविदा में वित्तीय बोली पर किये गये निर्णय की सूचना तथा दिनांक 01.02.2025 से संस्थान में बागवानी कार्य शुरू करने व अनुबंध की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने बाबत्।

उपरोक्त विषय में लेख है कि संस्थान द्वारा जारी निविदा सूचना क्रमांक 16850 दिनांक 12.12.2024 के संबंध में आप द्वारा ई–बिड के माध्यम से बोली प्रस्तुत की गयी थी। संस्थान के बागवानी कार्य हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम बोली दर 80,000/– (अस्सी हजार रूपये) प्रति माह समस्त करों सहित को दो वर्ष (01.02.2025 से 31.01.2027) के लिए स्वीकार कर लिया गया है।

बोली प्रपत्र की शर्तो एवं अनुबंध के अनुसार कार्य करने पर बागवानी कार्य हेतु आपके द्वारा वित्तीय बोली में प्रस्तुत दर 80,000/– (अस्सी हजार रूपये) प्रति माह समस्त करों सहित भुगतान किया जावेगा।

संस्थान में बागवानी कार्य हेतु जारी की गई निविदा के संबंध में तकनिकी बोली हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त दरतावेज एवं शपथ पत्रों की मूल प्रतियॉ तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से संस्थान में प्रस्तुत करावें, संस्थान द्वारा मूल निविदा व शपथ पत्रों के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज जांच उपरान्त लौटा दिये जावेगें।

निविदा अनुसार अनुमोदित राशि के 5 प्रतिशत की दर से कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि 96,000/– रूपये संस्थान में अविलम्ब जमा कराते हुए आगामी 15 दिवस (कार्यादेश जारी होने की तिथी से) में आवश्यक रूप से 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र टंकित करवाकर करार पत्र सम्पादित करायेगें। अनुबन्ध कार्यवाही समय पर सम्पादित नही किये जाने पर कार्यादेश निरस्त किया जाकर GF&AR व RTPP ACT & RULES के नियमों के अनुसार आपके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

निविदा की शर्त संख्या 19 के अनुसार बागवानी कार्य का अनुबंध 2 वर्ष के लिए किया जा रहा हैं तथा प्रथम बार एक वर्ष (दिनांक 01.02.2025 से 31.01.2026 तक) के लिए कार्यादेश जारी किया जा रहा हैं। कार्य सन्तोषजनक रहने की स्थिति में आगामी द्वितीय वर्ष हेतु कार्यादेश जारी किया जा सकेगा तथा बागवानी कार्य की समीक्षा के दौरान कमी/शिकायत पाई जाने अथवा कार्य सन्तोषप्रद नहीं होने पर संस्थान द्वारा फर्म को सात दिवस का नोटिस देकर ठेका रद्द किया जा सकेगा।

बोली प्रपत्र की समस्त शर्तो/नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा तत्पश्चात् ही आपके द्वारा प्रस्तुत बिल का भुगतान किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार अविलम्ब करार पत्र सम्पादित कर दिनांक 01.02.2025 से बागवानी कार्य प्रारम्भ कराया जाना सुनिश्चित करावे।

(डॉ. प्रभा व्यास)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) एवं
विभागाध्यक्ष

Phone: 0141-2706556, 2715222 ❑ Fax: 0141-2705420
Email: hcmripa@rajasthan.gov.in ❑ Website: www.hcmripa.rajasthan.gov.in

क्रमांकः–एफ 8(14)/अ.शा./बागवानी कार्य अनु./रीपा/2024/पार्ट–I/ 19127-140 दिनांक :– 10/01/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त निजी सचिव, महानिदेशक, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (लेखा), एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
4. उप निदेशक (प्रशासन) एवं कार्यालयाध्यक्ष एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
5. प्रभारी अधिकारी (परिसर/कृष्ण पुरी भवन/विश्रान्ति), एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
6. प्रोग्रामर, ह.च.मा. रीपा,जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश को रीपा वेबसाईट पर अपलोड करावे।
7. लेखाशाखा, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
8. प्रबन्धक, विश्रान्ति, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
9. नोटिस बोर्ड नेहरू भवन /विश्रान्ति/पटेल भवन/कृ0पु0भ0, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) एवं
विभागाध्यक्ष